राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे फ्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)(31)उ.मै.छा / सान्याअवि / 2020-21 / 1071 दिनांक : 4-6-2021

विज्ञप्ति

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना यथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2025-26 तक के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एंव शिक्षण संस्थानों हेतु जारी महत्त्वपूर्ण निर्देश निम्न है :-

सत्र	दिशा निर्देश
शैक्षणिक सत्र 2021-22 से अग्रिम दिशा-निर्देशों तक	• शिक्षण संस्थान विद्यार्थी की उपस्थिति आधार आधारित दर्ज करना सुनिश्चित करावें। • विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों के पंजीयन हेतु AISHE/UDISE CODE अनिवार्य है। • उच्च शिक्षा के शिक्षण संस्थानों को सत्र 2024 से पूर्व NAAC/NBA accreditation होना अनिवार्य होगा।
शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए	• कतिपय शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्तर पर अग्रेषित नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक संख्या में छात्रवृति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान पर लंबित है। जिसके कारण विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान नहीं हो रहा है। अतः विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर पंजीकृत सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में छात्रवृति आवेदन पत्रों की जांच कर आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित करावें अन्यथा निर्धारित समयावधि उपरान्त शिक्षण संस्थान स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों को विभाग द्वारा स्वतः निरस्त कर दिया जावेगा। उक्त कारणवशः यदि विद्यार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित शिक्षण संस्थान ही उत्तरदायी होगा।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

E/:letter and note sheet 2019-20/ 999

Scanned with CamScanner

क्रमांक : एफ 9(4)(31)उ.मै.छा. / सान्याअवि / 2020–21 / 1002–1100 दिनांक 4-6-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा , जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / संस्कृत, बीकानेर / जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा / निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग , जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स / कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल, समस्त..............।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) / संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त...।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल / स्नातकोत्तर / स्नातक महाविद्यालय समस्त..........................।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय / राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय / राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.................।
17. अधीक्षक राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त...............................।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.............................।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, वेबसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोकतानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

03/06/2021

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

Scanned with CamScanner